


राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114



email : rajssa_cmecece@yahoo.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : 15(31) राप्राशिप/जय/सामु.गति./प्रबंधन मद/दिशा निर्देश/2017-18 5800 दिनांक : 18/8/17

दिशा निर्देश

(सत्र 2017-18)

ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला

प्रस्तावना :-

186 शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में विद्यालय प्रबंधन समितियों का सशक्तीकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी के अध्यक्षों को सामुदायिक गतिशीलता के उद्देश्य, महत्व एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त इनमे से अनेक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी के अध्यक्ष समुदाय से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। वे उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं। ऐसे अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी के अध्यक्ष कार्यशाला में समुदाय को गतिशील बनाने की विधियों को ओर अधिक परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार दे सकते हैं। शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी के अध्यक्षों का क्षमता विकास करना इन ब्लॉकों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान के जिला प्रबंधन मद से सामुदायिक गतिशीलता हेतु प्रावधित बजट से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी के अध्यक्षों के साथ ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का प्रावधान रखा गया है। ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला 50 संभागियों के लिए है। प्रति संभागी यूनिट कॉस्ट ₹ 100/- रुपये रखी गई है। अर्थात 50 संभागियों के लिए ₹ 5,000/- रुपये तक व्यय का प्रावधान रखा गया है।

कार्यशाला में चुने हुए जन प्रतिनिधि यथा-प्रधान, उप प्रधान, पार्षद एवं पंचायत समिति सदस्य आदि संभागी होंगे। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यथा - विकास अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, ब्लॉक मुख्यालय के प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय एवं एसएमसी के अध्यक्ष आदि। इसके अलावा यदि संभागियों की संख्या 50 तक पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ऐसे ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया जा सकता है जो कि शिक्षा में प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान दे सकते हैं।

क्र सं.	विवरण	ब्लॉक स्तर पर 50 संभागियों हेतु व्यय प्रावधान
1.	भोजन 40/- प्रति सम्भागी की दर से	2000.00
2.	जलपान (चाय-नाशता) 15/-रूपये प्रति व्यक्ति	750.00
3.	स्टेशनरी 10 रूपये प्रति व्यक्ति	500.00
4.	संदर्भ व्यक्ति मानदेय 2 संदर्भ व्यक्तियों के लिए 300 2 परियोजना कार्मिक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने पर	600.00
5.	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रतिवेदन/रिपोर्टिंग	500.00
6.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय	650.00
	योग	5,000.00

- उपरोक्त व्यय संभावित है। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक की स्वीकृति से निर्धारित इकाई लागत तक आवश्यक संशोधन कर व्यय कर सकता है। कार्यशाला में निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
- कार्यशाला के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वय के नेतृत्व में अति० जिला परियोजना समन्वयक द्वारा एवं ब्लॉक स्तर पर बीईईओ. के नेतृत्व में कार्यक्रम प्रभारी संदर्भ व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
- कार्यशाला में भाग लेने वाले विशेषज्ञों/सन्दर्भ व्यक्तियों, जो जिला मुख्यालय से बाहर से आयेगे, को बस/रेल किराये का भुगतान किया जा सकेगा।
- कार्यशाला में परियोजना कार्मिकों के अतिरिक्त आमंत्रित विशेषज्ञों को ₹ 300/- रूपये प्रतिदिन मानदेय देय होगा।

कार्यशाला आयोजन हेतु निम्नांकित तैयारियाँ करें :-

- स्थान का चयन, कार्यशाला की आवश्यकता एवं जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों की संख्या तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाए।
- कार्यशाला के आयोजन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर प्रधान/विकास अधिकारी की सहमति से कार्यक्रम की तिथियों का निर्धारण।
- कार्यशाला के संभागियों का चयन एवं समय पर उनको सूचना भिजवाना।
- कार्यशाला आयोजन के पश्चात् कार्यशाला का कार्यवृत्त/प्रतिवेदन तैयार कर प्रसारित किया जावे तथा कार्यक्रम के आधार पर किये गये निर्णयों/सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु परिपत्र/आदेश का प्रारूप तैयार कर सक्षम स्वीकृति के पश्चात जारी किया जावे। प्रतिवेदन की प्रति परिषद् कार्यालय को भी भिजवायें।
- राज्य स्तर पर एसएमसी प्रशिक्षण हेतु तैयार किये गये केआरपी में से दो व्यक्तियों को संदर्भ व्यक्ति के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।
- जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला 15 दिसम्बर, 2017 तक आवश्यक रूप से की जावे।
- कार्यशाला का समय प्रातः 10 से सायं 6.00 बजे तक होगा।

आमुखीकरण कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जा सकती है :-

- विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, आधेकार एवं कर्तव्य।
- आरटीई एक्ट-2009 के मुख्य प्रावधान।
- शिकायत निवारण तंत्र।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण।
- एसएसए की विभिन्न गतिविधियाँ एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किये जा रहे विभिन्न नवाचार आदि।
- स्वच्छ भारत अभियान में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- बाल अधिकार।
- मिड-डे-मील।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेष केन्द्रित जिले में/शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ विशिष्ट चुनौतियां तथा मुद्दे हो सकते हैं। कार्यशाला में चर्चा के दौरान इनको भी अपेक्षित स्थान दिया जाये।

इन गतिविधियों के आयोजन हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- गतिविधियों के आयोजन हेतु सामग्री का क्रय व अन्य व्यवस्था नियमानुसार क्रय प्रक्रिया अपनाकर किया जावे।
- आयोजन हेतु व्यय का भुगतान चैक अथवा बैंक खाते में किया जावे।
- जिला परियोजना कार्यालय इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि हेतु किए गए व्यय का समायोजन गतिविधि समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से करवाना सुनिश्चित किया जाए।
- मद अनुसार निर्धारित बजट से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जावे। अधिक व्यय किए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जावेगी।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(डॉ.जोगाराम)
आयुक्त

क्रमांक : 15(31) राप्राशिप/जय/सामु.गति./प्रबंधन मद/2017-18/ 5801 दिनांक : 18/8/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. उपायुक्त (प्लान)/मॉनिटरिंग, राप्राशिप, जयपुर।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान।
6. रक्षित पत्रावली।

(जस्सा राम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त

S.N	District	Block Level Awareness for 186 EBBs	
		50 persons per EBBs @ Rs.100/- per person.	
		Target	
		Phy.	Fin. (in lakhs)
1	Ajmer	7	0.35
2	Alwar	10	0.5
3	Banswara	7	0.35
4	Baran	7	0.35
5	Barmer	6	0.3
6	Bharatpur	8	0.4
7	Bhilwara	11	0.55
8	Bikaner	5	0.25
9	Bundi	4	0.2
10	Chittaurgarh	11	0.55
11	Churu	1	0.05
12	Dausa	4	0.2
13	Dhaulpur	4	0.2
14	Dungarpur	5	0.25
15	Ganganagar	2	0.1
16	Hanumangarh	1	0.05
17	Jaipur	7	0.35
18	Jaisalmer	3	0.15
19	Jalor	7	0.35
20	Jhalawar	4	0.2
21	Jhunjhunu	0	0
22	Jodhpur	9	0.45
23	karauli	4	0.2
24	Kota	1	0.05
25	Nagaur	11	0.55
26	Pali	10	0.5
27	Pratapgarh	5	0.25
28	Rajsamand	7	0.35
29	Sawi Madhopur	5	0.25
30	Sikar	0	0
31	Sirohi	5	0.25
32	Tonk	6	0.3
33	Udaipur	9	0.45
	Total	186	9.30